



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42990 वर्ष 2025

आतिफ उर्फ पांडु

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता:

सिद्धार्थ सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंह, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आतिफ उर्फ पांडू की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें वाद संख्या 225/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन सिकरा, जिला जौनपुर में दर्ज मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास के दो मामलों का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 24.4.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के खिलाफ विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में दर्ज साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, आतिफ उर्फ पांडू को, उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह गवाही के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।